

**॥ कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस (इंडोर), राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर ॥**

**रिजर्व पुलिस लाईन मैनेजमेन्ट (कानि./हैड कानि.) कोर्स**

दिनांक/समय	विषय
10.30 से 11.10	प्रतिभागियों का स्वागत व रजिस्ट्रेशन, पांच दिवसीय लाईन मैनेजमेंट कार्यक्रम का उद्देश्य व आप इस प्रोग्राम से क्या प्राप्त करके जायेंगे व कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश।
11.10 से 11.50	उप निरीक्षक आर्मीरर आर.पी.आर. 1948 का नियम 114,132,162, रीडर, हवलदार मेजर की ड्यूटी व अधीनस्थ जाब्ता का पर्यवेक्षण।
	<b>विराम 11.50 से 12.00</b>
12.00 से 12.40	पुलिस लाईन की विभिन्न शाखाएँ व उनसे संबंधित रजिस्टर का संधारण व रखरखाव—सब्सिडियरी भण्डार, तरल कैंटीन, भवन शाखा, मनोरंजन गृह, मैस व मैस प्रबंध के लिए स्थायी आदेश पुलिस लाईन की विभिन्न शाखाएँ व उनसे संबंधित रजिस्टर का संधारण व रखरखाव—लेखा शाखा, परिवहन शाखा, पेट्रोल पम्प शाखा (रैंज स्तर पर), घुड़सवार शाखा।
12.40 से 01.20	आर.पी.आर. 1948 की सामान्य जानकारी यथा नियम 73 संयुक्त प्रार्थना पत्र की मनाही, नियम 74 आई.जी./डी.आई. जी. से भेंट, नियम 75 फटीग ड्यूटी, नियम 77 निजी व्यापार व धंधा, नियम 80 सरकारी दस्तावेज व सूचना के प्रति व्यवहार, नियम 81 समाचार पत्रों से संबंध, नियम 82 सार्वजनिक पदाधिकारीगण सरकारी नीति पर आक्रमण न करें, नियम 83 पुलिस अधिकारी के विरुद्ध दीवानी व फौजदारी मुकदमे, नियम 85 पुलिस अधिकारी अपने आगमन की रिपोर्ट अधीक्षक पुलिस को करें, नियम 86 सजायें, नियम 92 सजा की ड्रिल व क्वार्टर्स में कैद, नियम 98 अपीलें, नियम 102 सेवा के लिए उत्कृष्ट अंक, नियम 103 चर्म पत्र
10.30 से 11.10	सुरक्षा गार्ड, क्वार्टर गार्ड, सम्मान गार्ड एवं अंत्येष्टि कवायद।
11.10 से 11.50	पुलिस लाईन की विभिन्न शाखाएँ व उनसे संबंधित रजिस्टर का संधारण व रखरखाव— वर्दी स्टोर, नियम 135 वस्त्रों का रजिस्टर, नियम 136 कपड़ों की सुरक्षा एवं विविध भण्डार।
	<b>विराम 11.50 से 12.00</b>
12.00 से 12.40	1. गश्त, नाकाबंदी व दबिश के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें 2. महिला पुलिसकर्मी के प्रति संवेदनशीलता
12.40 से 01.20	आर.पी.आर., 1948 के तहत संतरी के कर्तव्य नियम 145 संतरी के कर्तव्य बताये जायें, नियम 146 संतरी को सतर्क रहना है, नियम 147 संतरी को बाहर की ओर मुड़ना है, नियम 154 गार्ड के सदस्य परिसर नहीं छोड़ेंगे, नियम 159 संतरी सशस्त्र होगा, नियम 160 गार्ड की ड्रेस, नियम 167 संतरी द्वारा चुनौती।
10.30 से 11.10	पुलिस लाईन की विभिन्न शाखाएँ व उनसे संबंधित रजिस्टर का संधारण व रखरखाव—लेखा शाखा, परिवहन शाखा, पेट्रोल पम्प शाखा (रैंज स्तर पर), घुड़सवार शाखा।
11.10 से 11.50	आर.पी.आर. 1948 के तहत हैड कॉन्स्टेबल के कर्तव्य नियम 148 संतरी की मुक्ति, नियम 151 संतरी और गार्ड की

	मुक्ति, नियम 157 सेवा का रोस्टर, नियम 169 गार्ड की परेड, नियम 170 हैड कॉन्सिटेबल के कर्तव्य आचरण, अनुशासन, सजा एवं ईनाम, ऑर्डली रूम व्यवस्था।
12.00 से 12.40	एस्कोर्ट से संबंधित आर.पी.आर., 1948 के नियम— नियम 171 एस्कोर्ट की आवश्यकता, नियम 172 एस्कोर्ट की तादाद, नियम 173 विशेष मामलों में विशिष्ट गार्ड्स, नियम 175 दोषी व्यक्तियों के लिए एस्कोर्ट, नियम 177 एस्कोर्ट की अस्वस्थता, नियम 178 कैदियों पर गोली चलाना, नियम 179 एस्कोर्ट दल से भाग जाना।
12.40 से 01.20	हॉस्पिटल गार्ड व बंदी एस्कोर्ट गार्ड ड्यूटी से संबंधित आर.पी.आर. 1948 के नियम व ड्यूटी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें— क्या करें, क्या नहीं करें एवं पी.एच.क्यू. के स्थाई आदेश
10.30 से 11.10	परेड रिपोर्टिंग सिस्टम, परेड टर्न आउट व वर्दी पहनने के नियम, रॉल कॉल का महत्व, चैक रॉल कॉल, अलार्म परेड।
11.10 से 11.50	पुलिस लाईन की विभिन्न शाखाएँ व उनसे संबंधित रजिस्टर का संधारण व रखरखाव— कोत, मैगजीन आर.पी.आर. 1948 का नियम 133 शस्त्रों का रजिस्टर, नियम 134 गोला बारूद का रजिस्टर, नियम 138 आयुध स्टोर का मांग पत्र, नियम 140 गोला बारूद, नियम 141 खराब या खोया हुआ गोला बारूद, नियम 142 आर्मोरर।
	<b>विराम 11.50 से 12.00</b>
12.00 से 12.40	पुलिस लाईन का संगठन— आर.आई. आर.पी.आर. 1948 का नियम 112, 133, 134, 180, 181, 182, 183,(आर.आई. कार्यालय—हवलदार मेजर कार्यालय, आर.आई. रीडर कक्ष, रोजनामचा आम कक्ष, वायरलैस व प्रशिक्षण कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष), आर.एस.आई. (एल.ओ.) आर.पी.आर. 1948 का नियम 113,116,127 की ड्यूटी व अधीनस्थ जाब्ता का पर्यवेक्षण।
12.40 से 01.20	लॉ एण्ड ऑर्डर के स्थाई आदेश की जानकारी, फोर्स मैनेजमेंट, फोर्स मूवमेंट, ब्रीफिंग, डी—ब्रीफिंग एवं साजो—सामान।
10.30 से 11.10	उच्चाधिकारियों व रिजर्व निरीक्षक द्वारा लाईन की विभिन्न शाखाओं का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण
11.10 से 11.50	आचरण, अनुशासन, सजा एवं ईनाम, ऑर्डली रूम व्यवस्था
	<b>विराम 11.50 से 12.00</b>
12.00 से 12.40	फटिंग, स्वच्छता, श्रमदान एवं पर्यावरण संरक्षण
12.40 से 01.20	समूह परिचर्चा, इंटरैक्शन व फीडबैक